

# राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान, रायबरेली

एन.आई.एफ.टी अधिनियम 2006 द्वारा शासित औरवस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित (डिजाईन, प्रबंधन और टेक्नोलॉजी का एक प्रीमियर संस्थान) शैक्षणिक मामले विभाग

9327(1)/AA/NIFT-RB/UP Govt. Scholarship/2020

05 अक्टूबर, 2020

### परिपत्र

समस्त छात्र—छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु छात्रवृत्ति के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिया है।

अतः निफ्ट के सामान्य/ओ०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी०/ अल्पसंख्यक श्रेणी के इच्छुक छात्र—छात्राएं (जो स्कॉलरशिप हेतु योग्य है) अपने आवदेन फार्म दिनांक 05 नवम्बर, 2020 तक ऑनलाइन जमा कर संस्था के "एकेडमिक अफेयर्स" विभाग में समस्त आवश्यक दस्तावेजों को मूल फार्म के साथ संलग्न कर दिनांक 12 नवम्बर 2020 तक जमा कराना सुनिश्चत करे।

आवेदन हेतु निम्न जरूरी बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है:--

- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- सामान्य/ओ०बी०सी०/अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्राओं की वार्षिक पारिवारिक आय रू० 2,00,000/— तथा एस०सी०/एस०टी० श्रेणी के छात्राओं की वार्षिक पारिवारिक आय रू० 2,50,000/— से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्र—छात्राओं के हाई—स्कूल अंकपत्र में दिये गये नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आधार नम्बर छात्र—छात्राओं के बैंक खाते व मोबइल नम्बर से लिंक होना चाहिए।

नवीनीकरण आवेदन (Renewal) हेतु बैचलर पाठ्यक्रम के छात्र—छात्राएं "Bachelor of Design" option को चुने तथा नवीन आवेदन (Fresh) हेतु बैचलर पाठ्यक्रम के छात्र—छात्राएं अपने कोर्स के option को चुने जैसेः—

- B.Des Accessory Design (AD)
- B.Des Fashion Design (FD)
- B.Des Fashion Communication (FC)
- B.Des Leather Design (LD)

तथा मास्टर पाठ्यक्रम के छात्र—छात्राएं नवीन तथा नवीनीकरण (Renewal & Fresh) दोनो आवेदन हेतु Master of fashion Management (M.F.M.) option को चुने |

छात्र—छात्राएं स्कॉलरशिप की जानकारी हेतु एकेडिमक अफेयर्स व सी०ओ०ई० विभाग से सम्पर्क कर सकते है तथा अधिक जानकारी व छात्रवृत्ति नियामावली हेतु उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप की वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in/ पर विजिट कर सकते है।

नोट :- छात्रवृत्ति नियमावली में दिए गए प्राविधानों के तहत छात्र का आवेदन एक ही छात्रवृत्ति हेतु संस्था द्वारा अग्रसारित किया जायेगा। अतः छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति हेतु एक ही विभाग में आवेदन करे।

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि:-

- 1. निदेशक, महोदय को सूचनार्थ।
- 2. सी०ए०सी० को सूचनार्थ।
- एस०डी०ए०सी० को सूचनार्थ।
- समस्त केन्द्र समन्वयक को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5. नोटिस बोर्ड



## राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान, रायबरेली

एन.आई.एफ.टी अधिनियम 2006 द्वारा शासित औरवस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित (डिजाईन, प्रबंधन और टेक्नोलॉजी का एक प्रीमियर संस्थान) शैक्षणिक मामले विभाग

9327(1)/AA/NIFT-RB/UP Govt. Scholarship/2020

05th October 2020

### Circular

All the students are hereby informed that Social Welfare Department, Uttar Pradesh has announce the online scholarship form for the financial year 2020-21. Therefore, it is informed that eligible students of General/OBC/SC/ST/Minority may submit online form latest by 05<sup>th</sup> November 2020 and submit the hard copy of the application form alongwith all supporting documents to "Academic Affairs" Department upto 12<sup>th</sup> November 2020.

Kindly note the following points for filling the application form:-

- · Should be resident of Uttar Pradesh
- The Annual Family Income of General/OBC/Minority Category should not be more than 2,00,000/- and for the SC/ST Category should not be more than 2,50,000/-
- Students Name, Father's Name and Date of Birth mention in Aadhar Card should be match with student's High School Marksheet. Aadhar No. must be linked with student's bank account and mobile no.

For Renewal application, Bachelor Programme students may choose "Bachelor of Design" option and for Fresh application of Bachelor Programme students may choose their respective course option as given under:-

- B.Des Accessory Design (AD)
- B.Des Fashion Design (FD)
- B.Des Fashion Communication (FC)
- B.Des Leather Design (LD)

For Renewal & Fresh both applications of Master Programme, students may choose the option of "Master of fashion Management (M.F.M.).

For the details students may contact to Academic Affairs & COE department and for more details students may visit the Uttar Pradesh Scholarship official website <a href="https://scholarship.up.gov.in/">https://scholarship.up.gov.in/</a>.

Note:- As per the provision of scholarship manual, Institute will forward only one scholarship form of each student. Therefore, it is advised to all concerned eligible student to apply only for one scholarship as per their eligibility.

Joint Director

#### Copy to :-

- Director: for kind information.
- CAC: for information.
- SDAC : for information.All CC's : for necessary action.
- Notice Board